विश्वविद्यालय की संविधि



केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल-795004, मणिपुर

अनुसूची
(अनुच्छेद 26 देखें)
विश्वविद्यालय की संविधि

कुलाधिपति

1 (1) पैनल से विजिटर द्वारा कुलाधिपति की नियुक्ति की जाएगी जिसमें सामान्य तथा विशेष रूप से कृषि विज्ञान में शिक्षा में उत्कृष्ट व्यक्तियों में से, जिनमें तीन से कम व्यक्ति न हों, बोर्ड द्वारा सिफारिश की जाएगी।

बशर्ते कि विजिटर सिफारिश किए गए किसी भी व्यक्ति को मंजूर नहीं करता तो वह बोर्ड से नई सिफारिश कर सकता है।

2. कुलधिपति पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय संभालेगा तथा पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि कार्यालय में अपनी अवधि की समाप्ति के बावजूद कुलाधिपति अपने कार्यालय में अपने उत्तराधिकारी के कार्यालय संभालने तक बना रहेगा।

कुलपति

2(1) विजिटर द्वारा कुलपति की नियुक्ति की जाएगी। यह उस पैनल से की जाएगी जिसमें तीन व्यक्तियों से कम न हों जिनकी धारा (2) के तहत गठित एक समिति द्वारा सिफारिश की जाएगी।

(2)(1) समिति धारा 2(1) में निर्दिष्ट की जाएगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) सचिव, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग, भारत सरकार – अध्यक्ष

(ii) पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 की धारा 3 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद के सचिव–सदस्य

(iii) सदस्य के रूप में विजिटर का एक मनोनीत, जो संयोजक भी होगा

3. कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।

4.. कुलपति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए पदस्थापित होंगे अथवा जब तक वे 70 वर्ष की आयु के नहीं हो जाते, इनमें से जो भी पहले हो। उन्हें अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु तक पुनः नियुक्त किया जा सकता है, इनमें से जो भी पहले लागू हो।

बशर्ते कि पांच वर्ष की कथित अवधि के समाप्त होने के बावजूद वे अतिरिक्त एक वर्ष तक की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे अथवा जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं होते या कार्यभार ग्रहण नहीं करते।

.....

बेगनी रंग : मूल अधिनियम एवं संविदा द्वारा राजपत्र अधिसूचना पंजीकरण संख्या डी–ए/–33004/92, दिनांक 28 दिसम्बर, 1992 के अनुसार।

नीला रंग : प्रथम संशोधन द्वारा राजपत्र अधिसूचना पंजीकरण संख्या डीएल(एन)–04/0007/2003–05, दिनांक 15 जुलाई–21 जुलाई, 2006 के अनुसार।

हरा रंग : द्वितीय संशोधन द्वारा राजपत्र अधिसूचना पंजीकरण संख्या डीएल(एन)–04/0007/2003–05, दिनांक 19–25 जनवरी, 2008 के अनुसार।

लाल रंग : तृतीय संशोधन द्वारा राजपत्र अधिसूचना पंजीकरण संख्या डीएल(एन)–04/0007/2003–05, दिनांक 10 जनवरी–16 जनवरी, 2009 के अनुसार

पैरा 3 : हटा दिया

5. कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की शर्तें निम्न प्रकार होंगी :

(i) कुलपति को मकान किराया भत्ते के अलावा मासिक वेतन तथा भत्ते दिए जाएंगे जो समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार होंगें तथा अपने पूरे कार्यालय की अवधि में बिना भुगतान किए सुसज्जित आवास के उपयोग का पात्र होगा।

(ii) कुलपति समय–समय पर विजिटर के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसे टर्मिनल लाभों तथा भत्तों का हकदार होगा जो निर्धारित किए गए हैं।

बशर्ते कि विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा संस्थान का कोई कर्मचारी अथवा अन्य किसी विश्वविद्यालय या संस्थान का कर्मचारी या किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी कर्मचारी द्वारा कोई यदि कुलपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है तो उसे उसके द्वारा किसी भी प्रकार की भविष्य निधि में, जिसका वह सदस्य है में अंशदान देने की अनुमति दी जाए और विश्वविद्यालय ऐसे कर्मचारी के लेखा में उसके भविष्य निधि में उसी दर से अंशदान देगा जैसाकि कुलपति की नियुक्ति के पहले वह अंशदान दे रहा था।

बशर्ते कि इसके अलावा जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन योजना का एक सदस्य रहा हो तो विश्वविद्यालय ऐसी योजना में आवश्यक योगदान करेगा।

(iii) भारत सरकार के सचिव के पद के बराबर के अधिकारियों के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर के अनुसार कुलपति भी यात्रा तथा अन्य भत्तों का पात्र होगा। इसके अलावा वह भी कार्यभार संभालने तथा पद छोड़ने के बाद भारत सरकार द्वारा सचिव के पद के अधिकारियों जैसे स्वीकृत स्थानांतरण यात्रा भत्ते, का पात्र होगा।

(iv) कुलपति कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों की दर पर पूरे वेतन पर छुट्टी के पात्र होंगे तथा यह छुट्टी वर्ष में दो बार अग्रिम रूप से 15 दिनों के दर पर हर वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को उनके खाते में जमा हो जाएगी।

बशर्ते कि यदि आधे वर्ष की करेंसी के दौरान कुलपति कार्यालय का भार संभालना अथवा छोड़ना है तो सेवा के प्रत्येक महीना पूरा करने पर ढाई दिन की दर पर आनुपातिक छुट्टी जमा हो जाएगी।

(v) उपधारा (पअ) में संदर्भित छुट्टी के अलावा सेवा के प्रत्येक वर्ष पूरा करने पर कुलपति 20 दिनों की दर पर अर्ध वेतन छुट्टी के पात्र भी होंगे। इसका अर्ध वेतन छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र पर पूरे वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में भी लाभ उठाया जा सकता है। जब परिवर्तित छुट्टी उपलब्ध हो तो देय अर्धवेतन छुट्टी की जगह अर्धवेतन छुट्टी की दोगुनी राशि जमा की जाएगी।

(vi) कुलपति, छुट्टी यात्रा छूट तथा नगर यात्रा रियायत के भारत सरकार के नियमों के अनुसार पात्र होंगे।

(अपप) भारत सरकार के नियमों के अनुसार कुलपति कार्यभार देते समय छुट्टी नकद भुगतान के हकदार होंगे।

(6) यदि कुलपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा या पद रिक्त हो जाता है अथवा अपनी स्वास्थ्य की खराबी अथवा अन्य कारण से अपनी सेवा करने में असमर्थ होते हैं तो

सबसे वरिष्ठ अधिष्ठाता अथवा निदेशक जैसा भी मामला हो, तो वह कुलपति की सेवा तब तक निभाएंगे जब तक कि नये कुलपति कार्यालय में कार्यभार नहीं संभालते अथवा तब तक जब तक कुलपति अपनी सेवा में उपस्थित नहीं होते, जैसा भी मामला हो।

कुलपति के अधिकार एवं सेवाः

3 (i) कुलपति बोर्ड शैक्षणिक परिषद, वित्त समिति, अनुसंधान परिषद तथा विस्तार शिक्षा परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे तथा कुलाधिपति की अनुपस्थिति में प्रदत्त उपाधि प्रदान करने के लिए दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

(2) कुलपति संबोधन, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की किसी बैठक में उपस्थित रहेंगे परंतु वह वोट देने के पात्र नहीं होंगे जब तक वह ऐसे प्राधिकरण के सदस्य नहीं होंगे।

(3) कुलपति की यह ड्यूटी है कि वह अधिनियम, संविधि, अध्यादेशों तथा विनियमों को देखें कि उनका उचित ढंग से पालन किया जा रहा है तथा उन्हें ऐसे अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अधिकार हैं।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्य को नियंत्रित करेगा तथा विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के निर्णयों को निभाएगा।

(5) विश्वविद्यालय के अनुशासन को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए कुलपति के पास भी आवश्यक अधिकार होंगे तथा वह ऐसे अधिकार ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को दे सकता है जिसके वह योग्य हैं।

(6) कुलपति को बोर्ड, शैक्षणिक परिषद, अनुसंधान परिषद, विस्तार शिक्षा परिषद तथा वित्त समिति की बैठकों को संचालित करने अथवा संचालित करवाने का अधिकार होगा।

महाविद्यालयों/संकायों के अध्यक्ष (डीन)

4. (1) प्रत्येक संकाय का एक अध्यक्ष होगा जो संबद्व महाविद्यालय का प्रधान होगा तथापि, यदि किसी संकाय के एक से अधिक महाविद्यालय हैं तो कुलपति संकायाध्यक्षों में से एक को संकाय का अध्यक्ष नामित करेगा।

संविधि की धारा 18 के अनुसार उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी तथा वह पूरे समय के लिए विश्वविद्यालय को वेतनभोगी अधिकारी होगा।

संकायाध्यक्ष किराया मुक्त तथा असुसज्जित आवास का पात्र होगा।

बशर्ते कि 65 वर्ष की आयु में उसका सेवाकाल समाप्त हो जाएगा।

डीन 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय संभालेगा तथा वह पुनः नियुक्ति का पात्र होगा बशर्ते कि 65 वर्ष की आयु में उसका सेवाकाल समाप्त हो जाएगा।

(2) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त हो अथवा संकायाध्यक्ष बीमार, अनुपस्थित अथवा अन्य कारणों से अपनी ड्यूटी को करने में असमर्थ होता है तब कार्यालय की ड्यूटी उन व्यक्तियों द्वारा की जाएगी जिसे कुलपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करेंगे।

(3) महाविद्यालय/संकाय में शिक्षण के मानकों के परिचालन तथा रखरखाव के लिए संकायाध्यक्ष कुलपति के प्रति जिम्मेवार होगा तथा अन्य कार्य का भी निष्पादन करेगा जैसा कि अध्यादेश द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(4) संकायाध्यक्ष संकाय के अध्ययन बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा, शैक्षणिक परिषद, अनुसंधान परिषद तथा विश्वविद्यालय विस्तार शिक्षा परिषद का सदस्य होगा।

निदेशक शिक्षण

5 (1) चयन समिति जिसे इस उद्देश्य के लिए गठित किया गया है, की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा निदेशक शिक्षण की नियुक्ति की जाएगी तथा वह विश्वविद्यालय का पूर्ण समय वेतनभोगी अधिकारी होगा।

निदेशक शिक्षण किराया मुक्त तथा असुसज्जित आवास का पात्र होगा।

(2) अनुदेश निदेशक शिक्षण 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय संभालेगा तथा पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।

बशर्ते कि निदेशक शिक्षण का 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवाकाल समाप्त हो जाएगा।

(3) विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों की योजना, समन्वय तथा पर्यवेक्षण हेतु निदेशक शिक्षण जिम्मेदार होगा।

निदेशक अनुसंधान

6 (1) इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा, निदेशक अनुसंधान की नियुक्ति की जाएगी तथा वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।

निदेशक अनुसंधान किरायामुक्त तथा असुसज्जित आवास के पात्र होंगे।

(2) निदेशक अनुसंधान 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय संभालेंगे तथा पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे।

बशर्ते कि निदेशक अनुसंधान का 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवाकाल समाप्त हो जाएगा।

(3) निदेशक अनुसंधान विश्वविद्यालय के सभी अनुसंधान कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण तथा समन्वय हेतु जिम्मेदार होंगे तथा अपनी ड्यूटी के निष्पादन हेतु कुलपति के प्रति जिम्मेदार होंगे।

(4) अनुसंधान निदेशक विश्वविद्यालय की अनुसंधान परिषद के पदेन सदस्य सचिव होंगे।

निदेशक विस्तार शिक्षा

7 (1) इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की सिफारीश पर बोर्ड निदेशक विस्तार शिक्षा की नियुक्ति करेगा तथा विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।

निदेशक विस्तार शिक्षा किरायामुक्त तथा असुसज्जित आवास का पात्र होगा।

(2) निदेशक विस्तार शिक्षा 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय संभालेंगे तथा पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे।

बशर्ते कि निदेशक विस्तार शिक्षा का 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवाकाल समाप्त हो जाएगा।

(3) निदेशक विस्तार शिक्षा विश्वविद्यालय के सभी अनुसंधान कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण तथा समन्वय हेतु जिम्मेदार होंगे तथा अपनी ड्यूटी के निष्पादन हेतु कुलपति के प्रति जिम्मेदार होंगे।

(4) निदेशक विस्तार शिक्षा विश्वविद्यालय के विस्तार शिक्षा परिषद के पदेन सदस्य सचिव होंगे।

रजिस्ट्रार

8 (1) संविधि की धारा 18 के तहत विधिवत गठित चयन समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी तथा वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा वह अपनी ड्यूटी के निष्पादन हेतु कुलपति के प्रति जिम्मेदार होगा।

(2) वह 5 वर्ष के लिए नियुक्त होगा तथा पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। वह विशिष्ट अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा जिसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) रजिस्ट्रार की परिलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाएंगीः–

बशर्ते कि रजिस्ट्रार 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।
पैरा 3 : हटा दिया ।

यदि एक व्यक्ति अपनी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होता है तो उसका कार्यकाल परिलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार होगी।

(4) जब रजिस्ट्रार का पद रिक्त हो अथवा जब रजिस्ट्रार बीमार, अनुपस्थित तथा अन्य किसी कारण से अपने कार्यालय कार्य के निष्पादन में असमर्थ हो, तो कार्यालय की ड्यूटी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जिसे कुलपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त करेगा।

(5) (क) रजिस्ट्रार को शिक्षकों को छोड़कर, ऐसे कर्मचारियों के विरूद्व, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होगा जैसा कि बोर्ड के आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो तथा उनके निलम्बन, जांच लंबित करने प्रशासनिक चेतावनी अथवा दण्ड लगाने अथवा वेतनवृद्धि को रोकने का अधिकार होगा।

बशर्ते कि ऐसा दण्ड तब तक नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि प्रस्तावित है कार्रवाई के विरूद्व संबंधित व्यक्ति को कारण दर्शाने का उचित अवसर न दिया गया हो।

(ख) रजिस्ट्रार के किसी आदेश के विरूद्व अपील उपधारा (क) में उल्लिखित दण्ड के विरूद्व कुलपति को दी जाएगी।

(ग) जहां जांच से यह स्पष्ट होता है कि अपेक्षित दण्ड दिया जाना रजिस्ट्रार को प्रदत शक्तियों से बाहर है तो रजिस्ट्रार अपनी संस्तुति के साथ जांच परिणामों को कुलपति को भेजेगा।

बशर्ते कि कुलपति के आदेश द्वारा लगाये गये दण्ड के विरूद्ध अपील बोर्ड को भेजी जायेगी।

(6) रजिस्ट्रार बोर्ड और शैक्षणिक परिषद का पदेन सचिव होगा, परन्तु इन प्राधिकरणों के किसी सदस्य के रूप में नहीं माना जायेगा।

(7) रजिस्ट्रार की यह ड्यूटी होगीः–

(क) रिकार्डों का परिरक्षक होने के नाते, सामान्य सील और विश्वविद्यालय की इस प्रकार की अन्य सम्पदा जैसा कि बोर्ड में कहा गया हो उसके चार्ज में होगी;

(ख) इन प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति, बोर्ड और शैक्षणिक परिषद की बैठक बुलाने के लिए सभी सूचना जारी करना;

(ग) इन प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति, बोर्ड और शैक्षणिक परिषद की सभी बैठकों का कार्यवृत्त रखना;

(घ) बोर्ड और शैक्षणिक परिषद का सरकारी पत्राचार करना;

(ड.) अध्यादेश/अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित तरीके के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं हेतु व्यवस्था करना;

(च) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की बैठक की कार्यसूची की प्रतियां, और इस प्रकार की बैठकों का कार्यवृत्त, जैसे ही जारी की जाती हैं, विजिटर को जल्द से जल्द भेजना।

(छ) विश्वविद्यालय के विरूद्ध; दायर की गई चायिकाओं अथवा प्रकियाओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, इस उद्देश्य के लिए तैनात किए गए अपने प्रतिनिधयों या सत्यापित वकालत या पावर ऑफ एटॉर्नी देना।

(ज) बोर्ड या कुलपति द्वारा समय–समय पर मांगी गई सेवाएं या संविधि, अध्यादेश या विनियमन में विनिर्दिष्ट अन्य दायित्वों को निष्पादित करना।

नियंत्रक (द. कम्प्ट्रोलर)

9 (1) संविधि की धारा 18 के तहत विधिवत रूप से गठित चयन समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा नियंत्रक की नियुक्ति की जायेगी और यह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।

नियंत्रक की नियुक्ति एक निर्धारित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर भी की जा सकती है जिसकी अवधि पांच वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

(2) वह पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जायेगा और पुनःनियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा।

(3) नियंत्रक की परिलब्धियां और निबंधन अन्य शर्तें अध्यादेश द्वारा निर्धारित की जायेगी। उस मामले में यदि एक व्यक्ति की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर की जाती है, उसकी अवधि, परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें प्रतिनियुक्ति की मानक के अनुसार होंगी; बशर्ते कि नियंत्रक 60 साल की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त हो जाए।

पैरा 3 : हटा दिया

(4) जब नियंत्रक का पद खाली हो या जब नियंत्रक, बीमारी के कारण, अनुपस्थित या अन्य कारणों से, अपने कार्यालय का कार्य निष्पादित करने में असमर्थ हो, तो उसके

कार्यालय की ड्यूटी उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित की जायेगी जिसे इस उद्देश्य के लिए कुलपति नियुक्त करता है।

(5) नियंत्रक वित्त समिति का पदेन सचिव होगा, परन्तु इस प्रकार की समिति के एक सदस्य के रूप में नहीं माना जाएगा।

(6) नियंत्रक यह कार्य करेगाः–

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और वित्तीय नीति के संबंध में अपनी सलाह देगा; और

(ख) संविधि, अध्यादेश में उल्लेखित की गई इस प्रकार की अन्य ड्यूटी को निष्पादित करेगा जो कि, कुलपति या बोर्ड द्वारा समय–समय पर अपेक्षित होंगी।

(7) बोर्ड नियंत्रण की शर्त पर, नियंत्रक यह कार्य करेगाः–

(क) विश्वविद्यालय की सम्पति और निवेशों की व्यवस्था करना जिसमें ट्रस्ट सम्पन्न सम्पदा शामिल है।

(ख) एक वर्ष के आवर्ती और गैर–आवर्ती खर्चो के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं के न बढ़ने और लक्षित कार्य पर सभी स्वीकृत या आवंटित धनराशि के व्यय को सुनिश्चित करना।

(ग) विश्वविद्यालय का बजट और वार्षिक लेखा–जोखा को तैयार करने और उन्हें बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेवार होगा।

(घ) निवेश को विवरण पर और रोकड़ और बैंक इतिशेष के विवरण पर चौकस नजर रखेगा।

(ड.) राजस्व की प्राप्ति की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण रोजगार के तरीकों पर सलाह देगा।

(च) इमारतों, भूमि, फर्नीचर और उपकरण के रजिस्टरों का अद्यतन रखरखाव सुनिश्चित करना तथा विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्थित संस्थाओं और सभी कार्यालयों, विशेषज्ञ प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों में उपकरण और अन्य उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का स्टॉक चेकिंग आयोजित करना।

(छ) अनाधिकृत खर्चों और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति के ध्यान में लाना और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु सुझाव देना।

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा रखरखाव किए जा रहे किसी संगठन कार्यालय, प्रयोगशाला, और संस्थान को बुलाना और अपनी ड्यूटी को निष्पादित करने के लिए आवश्यक सूचना या प्राप्ति के लिए विचार करना।

(8) विश्वविद्यालय को किसी भी राशि के देय के लिए बोर्ड द्वारा इसके पक्ष में नियंत्रक या व्यक्ति या विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्तियों से कोई भी रसीद दिए जाने पर इस प्रकार के भुगतान के लिए जारी करने हेतु पर्याप्त होगा।

विभागाध्यक्ष

10(1) प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा, जिसकी नियुक्ति कुलपति द्वारा की जाएगी जो, एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर से कम का न हो और उसकी ड्यूटी और कार्य और नियुक्ति की शर्तें अध्यादेश द्वारा निर्धारित की गई हों।

उसकी शिक्षण के लिए डीन के प्रति, विस्तार शिक्षा कार्य के लिए विस्तार शिक्षा के निदेशक, अनुसंधान के लिए अनुसंधान निदेशक प्रति जवाबदेही होगी। तथापि, संबंधित महाविद्यालय में डीन ही विभागाध्यक्षों का प्रशासनिक नियंत्रण अधिकारी होगा।

IndiaCode

बशर्ते कि किसी विभाग में एक से ज्यादा प्राध्यापक है तो, विभागाध्यक्ष की नियुक्ति प्राध्यापकों में से कुलपति द्वारा की जाएगी।

बशर्ते कि विभाग के उस मामले में जहां केवल एक प्रोफेसर है, कुलपति के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो प्रोफेसर को या एसोसिएट प्रोफेसर को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करे।

पैरा 4 : हटा दिया

बशर्ते कि उस विभाग में जहां न तो प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर है, महाविद्यालय का डीन विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा या कुलपति के अनुमोदन से महाविद्यालय के किसी दूसरे विभागाध्यक्ष को यह ड्यूटी सौंप देगा।

(2) एक प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यह खुला होगा कि वह विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के ऑफर को अस्वीकार कर दे।

(3) एक प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर जो विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होगा वह तीन वर्षों की अवधि के लिए इस कार्यालय में पदभार संभालेगा और वह पुनः नियुक्ति के लिए भी पात्र होगा।

(4) एक विभागाध्यक्ष अपने कार्यकाल की अवधि के दौरान किसी भी समय अपने कार्यालय से त्याग–पत्र दे सकता है।

(5) एक विभागाध्यक्ष अध्यादेश में निर्धारित की गई इस प्रकार के कार्यों को निष्पादित करेगा।

(6) विभागाध्यक्ष 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जायेगा।

पुस्तकालयाध्यक्ष

11(1) संविधि की धारा 18 के तहत जिस उद्देश्य के लिए चयन समिति गठित की गई है की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा प्रत्येक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।

(2) प्रत्येक पुस्तकालयाध्यक्ष सभी प्रकार की शक्तियों को प्रयोग में लाएगा और इस प्रकार की ड्यूटी को निष्पादित करेगा जो कि कुलपति द्वारा उसे सौंपी गई हों।

बोर्ड का गठन, शक्तियां और कार्यकलाप

12(1) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामतः

(प) कुलपति, पदेन अध्यक्ष

(पप) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य के कृषि/पशुपालन/मात्स्यिकी/बागवानी विभागों के प्रभारी सचिवों में से तीन सचिवों को राज्य के वर्णानुसार रोटेशन से विजिटर द्वारा नामित किया जाएगा।

बशर्ते कि बोर्ड में एक विशेष समय में एक राज्य से एक सचिव से ज्यादा न हो।

(पपप) विजिटर द्वारा तीन विख्यात वैज्ञानिकों को नामित किया जाए।

(पअ) विजिटर द्वारा कृषि आधारित उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ख्यातिप्राप्त व्यक्ति या कृषि विकास में विशेष ज्ञान रखने वाले एक निर्माता को नामित किया जाए।

(अ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधित्व उप महानिदेशक (शिक्षा) करेंगे।

(अप) पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 (1971 का 84) की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित पूर्वोत्तर परिषद का सचिव।

(अपप) कुलपति द्वारा महाविद्यालय के एक डीन और एक निदेशक को रोटेशन के आधार पर नामित किया जाए।

(अपपप) पूर्वोत्तर राज्यों में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्तियों को उन राज्यों के वर्णानुक्रमिक में क्रमवार कुलपति द्वारा नामित किया जाए।

(पग) हटा दिया

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों से महिला सामाजिक संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता को कुलपति द्वारा नामित किया जाए।

(गप) सलाहकार (कृषि), योजना आयोग

(गपप) विजिटर द्वारा प्राकृतिक संसाधन या पर्यावरण प्रबंधन पर एक ख्यातिप्राप्त प्राधिकारी को नामित किया जाए।

(गपपप) भारत सरकार के कृषि और पशुपालन से संबंधित सचिवों द्वारा नामित इन विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम न हो।

(ग पअ) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सचिव द्वारा नामांकित व्यक्ति।

(ग अ) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार – सचिव

(2) पदेन सदस्यों के अलावा बोर्ड के अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(3) विश्वविद्यालय की सम्पदा और राजस्व के प्रबंधन और प्रशासन की शक्ति बोर्ड के पास होगी और विश्वविद्यालय के सभी प्रशासनिक मामले बशर्ते।

(4) इस अधिनियम के प्रावधानों संविधि और अध्यादेशों के अनुसार, सभी अन्य शक्तियों के अलावा बोर्ड के पास निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी, नामतः

(प) शिक्षा और शैक्षणिक पदों का सृजन करना, संख्या निर्धारण और इस प्रकार के पदों की परिलब्धियां तथा विश्वविद्यालय के स्टाफ की सेवा शर्तों को परिभाषित करना, बशर्ते कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुमोदन हो।

(पप) इस उद्देश्य के लिए गठित की गई चयन समिति की सिफारिश पर विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्थित होने वाले अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति, जैसा कि जरूरी हो, और महाविद्यालय के डीन, निदेशक और अन्य संस्थाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति और इनको अस्थायी रूप से भरना।

(पपप) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और ऐसे पदों पर अध्यादेश में निर्धारित तरीके से उन पर नियुक्ति करना।

(पअ) हटा दिया

(अ) संविधि और अध्यादेशों के अनुसरण में कर्मचारियों के बीच अनुशासन को नियंत्रित और लागू करना।

(अप) विश्वविद्यालय के वित्तीय, लेखों, निवेशों, संपदाओं, व्यवसायों और अन्य सभी प्रशासनिक मामले की व्यवस्था करना और इस उद्देश्य के लिए जैसा उचित समझें, एजेंटों की नियुक्ति करना।

(अपप) वित्त समिति की सिफारिश पर एक वर्ष के लिए कुल आवर्ती और कुल गैर–आवर्ती खर्चों की सीमा को निर्धारित करना।

(अपपप) विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी राशि के निवेश, जिसमें समय–समय पर अनप्रयुक्त आय, जैसे कि स्टॉक, निधियां, शेयर अथवा प्रत्याभूति राशि,

जैसा उचित प्रतीत हो या इस उद्देश्य के लिए समय–समय से निवेश के विविध शक्तियों के साथ भारत में अचल सम्पत्ति, शामिल हैं।

(पग) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण या हस्तांतरण स्वीकृत करना।

(ग) विश्वविद्यालय के कार्य को करने के लिए भवन, परिसरों, फर्नीचर और अपार्टमेंट तथा अन्य जरूरी साधनों को उपलब्ध कराना।

(गप) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाओं की प्रविष्टि करना, परिवर्तित करना, जारी रखना तथा निरस्त करना।

(गपप) विश्वविद्यालय के कार्मिकों तथा छात्राओं की किसी शिकायत पर यदि ऐसा प्रतीत होता है तो जोर देना, उस पर ध्यान देना तथा फैसला सुनाना,।

(गपपप) परीक्षकों/विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं/सलाहकारों/विशेषाधिकारियों की फीस, मानदेय, पारिश्रमिक और यात्रा भत्ता निर्धारित करना।

(गपअ) विश्वविद्यालय के लिए एक सामूहिक सील का चयन करना और उस सील का उपयोग करना और संरक्षण प्रदान करना।

(गअ) महिला छात्राओं के लिए आवासीय और अनुशासन के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(गअप) इसके द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति, डीन, निदेशकों, रजिस्ट्रार या नियंत्रक या इस प्रकार के अन्य कर्मचारी या प्राधिकारी या समिति को अपनी शक्तियों में से किसी शक्ति को सौंपना, जैसा उसे उचित प्रतीत हो।

(गअपप) अध्येतावृति, छात्रवृत्ति, स्टूडेंट्शिप, पदक और पुरस्कार की शर्तें तय करना।

(गअपपप) विजिटिंग प्राध्यापकों/प्रख्यात प्राध्यापकों, परामर्शदाताओं और विशेषाधिकारियों/विद्वताओं आदि की नियुक्ति के लिए निबंधन शर्तों का पता लगाकर नियुक्त करना।

बोर्ड की बैठक के लिए कोरम

13. इसके अधिनियम या संविधि में दिए गए इस प्रकार की अन्य शक्तियों और ड्यूटियों को निष्पादित करने हेतु कियाकलाप।

बोर्ड की बैठक के लिए बोर्ड के पांच सदस्यों से कोरम पूरा होगा।

शैक्षणिक परिषद का गठन और शक्तियां

14(1) शैक्षणिक परिषद में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, नामतः

(प) कुलपति पदेन – अध्यक्ष

(पप) विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के सभी डीन

(पपप) विश्वविद्यालय के निदेशक अनुसंधान

(पअ) विश्वविद्यालय के निदेशक विस्तार शिक्षा

(अ) निदेशक शिक्षण

(अप) कुलपति द्वारा कमिक आधार पर नामित एक पुस्तकालयाध्यक्ष।

(अपप) कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के बाहर से सहयोजित दो प्रख्यात वैज्ञानिकों को नामित किया जाए।

(अपपप) सात विभागाध्यक्ष, कुलपति द्वारा कम से कम प्रत्येक संकाय से एक को नामित किया जाए।

(पग) कृषि विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त पूर्वोत्तर परिषद का एक नामित।

(ग) विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार, पदेन सचिव

(2) पदेन सदस्यों के अलावा शैक्षणिक परिषद के अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(3) संविधि और अध्यादेश अधिनियम में निहित सभी शक्तियों के अलावा शैक्षणिक परिषद के पास निम्नलिखित अन्य शक्तियां होंगी, नामतः

(क) निर्देश के तरीकों, महाविद्यालय और संस्थानों के बीच शिक्षण सहयोग, मूल्यांकन और शैक्षणिक स्तर में सुधार के संबंध में निर्देश देने के लिए विश्वविद्यालय के शैक्षणिक नीतियों का सामूहिक पर्यवेक्षण का कार्य करना।

(ख) शैक्षणिक मामलों पर अंतर–महाविद्यालय समन्वय बनाना और स्थापित करना या समिति नियुक्त करना।

(ग) या तो अपने स्वयं की पहल पर या महाविद्यालय या बोर्ड के संदर्भ में सामान्य शैक्षणिक रूचि के मामलों पर विचार करना और उन पर उचित कार्रवाई करना

(घ) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कियाकलापों, अनुशासन, आवासों, प्रवेश, छात्रों को अध्येतावृत्ति तथा स्टूडेंटशिप के पुरस्कार, शुल्क, रियायत, कारपोरेट जीवन तथा उपस्थिति के संबंध में संविधि और अध्यादेशों के साथ विनियमन और नियमों को तैयार करना।

शैक्षणिक परिषद की बैठकों के लिए कोरम

15. शैक्षणिक परिषद की बैठक के लिए कोरम हेतु एक तिहाई सदस्य होने चाहिए।

अध्ययन बोर्ड

16(1) प्रत्येक संकाय का एक अध्ययन बोर्ड होगा।

(2) प्रत्येक संकाय के अध्ययन बोर्ड का गठन निम्न प्रकार किया जाएगा :

(प) संकाय डीन – अध्यक्ष

(पप) अनुसंधान निदेशक – सदस्य

(पपप) विस्तार शिक्षा निदेशक – सदस्य

(पअ) संकाय के सभी विभागाध्यक्ष जिनका स्तर सह–प्राध्यापक से कम न हो – सदस्य

(अ) कुलपति द्वारा नामित शैक्षणिक परिषद का एक प्रतिनिधि जो कि विशेष रूप से उस संकाय से सबंध न रखता हो।

(अप) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय से संबंध न रखने वाले कृषि शिक्षा प्रणाली से दो प्रख्यात वैज्ञानिकों को कुलपति द्वारा नामित किया जाए

(अपप) स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का एक छात्र जिसकी कुल मिलाकर सबसे अधिक औसत ग्रेड प्वाइंट हो (ओजीपीए) – सदस्य

(अपपप) संकाय का सहायक रजिस्ट्रार (शैक्षणिक) – सदस्य

(पग) निदेशक शिक्षण – सदस्य

(3) अध्ययन बोर्ड का कार्य संबंधित संकाय द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न डिग्रियों के लिए शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित की जाने वाली कोर्स पाठ्यक्रमों और निर्धारित/अनुमोदित कोर्स के शिक्षण हेतु उचित सिफारिशें करना।

(क) अनुसंधान डिग्रियों के अलावा अध्ययन पाठ्यक्रमों और पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षकों को

नियुक्त करना;

(ख) अनुसंधान पर्यवेक्षकों को नियुक्त करना; और

(ग) शिक्षण और अनुसंधान स्तर के सुधार हेतु उपाय करना।

(घ) हटा दिया

वित्त समिति

17(1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, नामतः

(प) कुलपति – अध्यक्ष

(पप) वित्तीय सलाहकार (डेयर) या उसकी/उसके द्वारा नामजद जिसका स्तर उप सचिव से कम न हो।

(पपप) बोर्ड द्वारा नामित तीन व्यक्ति जिसमें से कम से कम एक सदस्य बोर्ड का होगा;

(पअ) विजिटर द्वारा नामित तीन व्यक्ति; तथा

(अ) विश्वविद्यालय नियंत्रक – सदस्य सचिव

(2) वित्त समिति की बैठक के लिए वित्त समिति के तीन सदस्यों से एक कोरम पूरा होगा।

(3) पदेन सदस्यों के अलावा वित्त समिति के अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

(4) वित्त समिति के किसी निर्णय से यदि वित्त समिति का एक सदस्य सहमत नहीं होता है तो उसे अपनी असहमति दर्ज कराने का अधिकार होगा।

(5) वित्त समिति एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक बुलाएगी, ताकि किए गए खर्चों हेतु प्रस्तावों की जांच–पड़ताल कर सके और लेखों की जांच कर पाए।

(6) पदों के सृजन से संबंधित प्रत्येक प्रस्ताव और बजट में शामिल नहीं किए गए मदों पर बोर्ड द्वारा विचार करने से पहले वित्त समिति द्वारा उनकी जांच की जानी चाहिए।

(7) नियंत्रक द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वित्तीय आंकलन और तार्षिक लेखों को वित्त समिति के समक्ष विचार और उनकी टिप्पणी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

(8) वित्त समिति विश्वविद्यालय के आय और संसाधनों के आधार पर वर्ष के लिए कुल आवर्ती खर्चों और गैर–आवर्ती खर्चों की सीमा निर्धारित करने की सिफारिश करेगी (जिसमें उत्पादित कार्य के मामले में, ऋण की प्रकिया भी शामिल है)।

चयन समिति

18(1) विश्वविद्यालय द्वारा व्यवस्थित अन्य संगठनों के अध्यक्षों और अध्यापकों, नियंत्रक, रजिस्ट्रार, पुस्तकालयाध्यक्षों, महाविद्यालय डीन, निदेशकों के पदों पर नियुक्ति के लिए बोर्ड को सिफारिश करने हेतु एक चयन समिति का गठन किया जाएगा।

(2) चयन समिति नीचे दी गई तालिका के कॉलम 1 में दिए गए विशिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए इस तालिका के सामने कॉलम 2 में उल्लेखित सदस्यों को सम्मिलित करे।

1	2
निदेशक/डीन	(प) कुलपति या उसके द्वारा नामजद – अध्यक्ष; (पप) विजिटर का एक नामजद; और

	(पपप) तीन प्रख्यात वैज्ञानिक जिनका स्तर कुलपति या समकक्ष से कम न हो (सेवारत/सेवानिवृत्त) का नामांकन कुलपति द्वारा किया जाना है जो कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित छः नामों के एक पैनल में से हो
प्रोफेसर/समकक्ष	(प) कुलपति या उसके द्वारा नामजद – सदस्य (पप) विजिटर का एक नामजद; (पपप) संबंधित संकाय का डीन – सदस्य (पअ) कुलपति द्वारा नामजद अनुसंधान निदेशक या विस्तार शिक्षा निदेशक या शिक्षण निदेशक – सदस्य; तथा (अ) बोर्ड सदस्यों द्वारा अनुमोदित 6 नामों के एक पैनल में से कुलपति द्वारा तीन प्रख्यात विषय–वस्तु विशेषज्ञ जिनका स्तर विभागाध्यक्ष या समकक्ष (सेवारत/सेवानिवृत्त) से कम न हो, नामित किया जाए।
सह–प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/समकक्ष	(प) कुलपति या उसके द्वारा नामजद – अध्यक्ष; (पप) विजिटर द्वारा एक नामजद, (पपप) संबंधित संकाय का डीन – सदस्य (पअ) कुलपति द्वारा नामित शिक्षण निदेशक या अनुसंधान निदेशक या विस्तार शिक्षा निदेशक (अ) संबंधित विभाग का अध्यक्ष जिसका स्तर प्राध्यापक से कम न हो और (अप) दो प्रख्यात अध्यापक /वैज्ञानिक जिनका स्तर प्राध्यापक या समकक्ष (सेवारत/सेवानिवृत्त) से कम न हो, को बोर्ड द्वारा अनुमोदित 6 नामों के एक पैनल में से कुलपति द्वारा नामित किया जाए।
रजिस्ट्रार/नियंत्रक/ पुस्तकालयाध्यक्ष	(प) कुलपति या उसके द्वारा नामजद – अध्यक्ष; (पप) विजिटर द्वारा नामजद (पपप) कुलपति द्वारा नामित निदेशक/डीन और (पअ) बोर्ड द्वारा अनुमोदित 6 नामों के एक पैनल में से कुलपति द्वारा नामित दो संबंधित विषयों के विशेषज्ञ – सदस्य

18. (3) कुलपति, या उनकी अनुपस्थिति में, उनके द्वारा नामित सदस्य चयन समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

बशर्ते कि चयन समिति की बैठक विजिटर के नामजदों के साथ पूर्व परामर्श के बाद निर्धारित की गई हो।

बशर्ते कि इसके अलावा चयन समिति का कार्यवृत्त वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि कम से कम दो सदस्य, जो कि विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, बैठक में उपस्थित होते हैं।

(क) हटा दिया

(ख) हटा दिया

(4) चयन समिति की बैठक कुलपति या उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामित द्वारा बुलाई जाएगी।

(5) सिफारिश करने में चयन समिति द्वारा प्रक्रिया का अनुसरण करने का फैसला साक्षात्कार से पूर्व ही समिति द्वारा किया जाएगा।

(6) यदि बोर्ड चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने में असमर्थ होता है तो वह इसका कारण बताएगा और विजिटर को अंतिम आदेश के लिए मामला प्रस्तुत करेगा।

(7) अस्थाई पदों पर नियुक्ति नीचे दिए गए तरीके से की जाएगीः–

(प) कुलपति के पास एक व्यक्ति को तदर्थ आधार पर 6 माह से ज्यादा अवधि के लिए नियुक्त करने का अधिकार नहीं होगा किन्तु इस अवधि को बोर्ड की अनुमति से 6 माह की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

बशर्ते कि कुलपति रिक्त पद को भरने हेतु कार्य के हित में जरूरी समझते हुए संतुष्ट हों, नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी आधार पर स्थानीय चयन समिति द्वारा उपधारा (पप) में संदर्भित 6 माह की अवधि से अधिक के लिए नहीं की जा सकती है।

(पप) यदि अस्थाई रिक्ति एक वर्ष से कम अवधि के लिए है तो, इस प्रकार की रिक्ति हेतु नियुक्ति स्थानीय चयन समिति जिसमें संबंधित महाविद्यालय के डीन, विभागाध्यक्ष और कुलपति द्वारा नामित एक नामजद सम्मिलित है की सिफारिश पर की जाएगी।

बशर्ते कि यदि वहीं व्यक्ति डीन और विभागाध्यक्ष का कार्यालय देखता हो, तो चयन समिति कुलपति द्वारा नामित दो व्यक्तियों को शामिल कर सकती है।

बशर्ते कि इसके अलावा, शिक्षण पदों पर मृत्यु या किसी अन्य कारण से अचानक रिक्तियां हो जाती हैं, तो डीन तब संबंधित विभागाध्यक्ष के परामर्श से एक माह के लिए अस्थाई नियुक्ति कर सकता है और इस प्रकार की नियुक्ति के बारे में कुलपति या रजिस्ट्रार को बताएगा।

(पपप) संविधि के तहत नियुक्ति के लिए नियमित चयन समिति द्वारा यदि सिफारिश नहीं की जाती है, तो किसी अध्यापक की अस्थाई नियुक्ति नहीं की जाएगी, अस्थायी रोजगार सेवा में तब तक कोई कार्यरत नहीं होगा, जब तक कि वह स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा बाद में, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए जैसा भी मामला हो, चयनित किया जाता है।

(8) गैर–शैक्षणिक स्टाफ के लिए चयन समिति के गठन का तरीका संविधि में निर्धारित नहीं किया गया है, तो इसे अध्यादेश द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

नियुक्ति का विशेष तरीका

19 (1) इसके बावजूद संविधि 18 में उच्च शैक्षणिक विशिष्टता और पेशेवर योग्यता वाले किसी व्यक्ति को प्राध्यापक या सह प्राध्यापक या विश्वविद्यालय में अन्य किसी शैक्षणिक पद को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर जैसा उचित प्रतीत हो इस प्रकार के निबंधन और शर्तों पर नियुक्त कर सकता है, और व्यक्ति ऐसा करने के लिए सहमत हो।

(2) बोर्ड अध्यादेश में दिए गए तरीके के अनुसार एक संयुक्त परियोजना शुरू करने के लिए एक अध्यापक या किसी अन्य शैक्षणिक स्टाफ जो किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य कर रहा हो को नियुक्त कर सकता है।

निर्धारित अवधि के लिए नियुक्ति

20. संविधि 18 में दी गई प्रक्रिया के अनुसरण में बोर्ड, चयनित व्यक्ति की नियुक्ति दी गई शर्तों पर जैसा भी उचित प्रतीत हो निर्धारित अवधि के लिए कर सकता है।

मान्य अध्यापक

21 (1) (क) विभिन्न संकायों के निदेशक, अधिष्ठाता, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक और उनके समकक्ष अनुसंधान और विस्तार शिक्षा की अर्हताएं अध्यादेश द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

(ख) गैर–शैक्षणिक स्टाफ की अर्हता अध्यादेश द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

(2) हटा दिया

(3) हटा दिया

(4) हटा दिया

(5) हटा दिया

(6) उपधारा (5) के अंतर्गत वापसी के आदेश से असंतुष्ट कोई व्यक्ति उसे ऐसा आदेश दिए जाने के 3 महीनों के अंदर बोर्ड को अपील करेगा जो उस पर यथोचित आदेश जारी कर सकता है।

समितियां

22 (I) धारा 16 में निर्धारित विश्वविद्यालय का प्राधिकारी वर्ग आवश्यकतानुसार स्थायी या विशेष समितियां नियुक्त कर सकता है तथा इन समितियों में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है जो कि उस प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं।

(2) उपधारा (I) के तहत नियुक्त इस प्रकार की कोई भी समिति इसे नियुक्त प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने के पश्चात इसे सौंपे गए किसी भी विषय पर कार्य कर सकती है।

अध्यापकों का आचरण तथा सेवा की शर्तें और निबंधन

23 (I) किसी भी समझौते की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के सभी अध्यापक तथा शैक्षणिक कार्मिकों को शासित करने वाली शर्तें और सेवा निबंधन तथा आचरण, संविधि, अध्यादेश तथा विनियमों द्वारा निर्धारित होंगे।

(2) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक और अन्य स्टाफ की नियुक्ति एक लिखित करार पर की जाएगी जिसकी शर्तें अध्यादेश द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

(3) उपधारा (2) मे संदर्भित प्रत्येक करार की एक प्रति रजिस्ट्रार के पास जमा की जाएगी।

अन्य कर्मचारियों के आचरण तथा सेवा की शर्तें और निबंधन

24. विश्वविद्यालय के सभी गैर–शैक्षणिक कर्मचारी किसी करार के अभाव में समय–समय पर बनाए गए संविधि, अध्यादेश तथा विनियमों में निर्धारित आचरण तथा सेवा की दशाओं और निबंधनों से शासित होंगे।

वरिष्ठता सूची

25 (I) जब कभी भी अधिनियम के अनुसार जब कभी कोई व्यक्ति वरिष्ठता के अनुसार रोटेशन द्वारा किसी पद पर पद स्थापित हो या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य हो, इस प्रकार की वरिष्ठता उस व्यक्ति के उस ग्रेड में लगातार सेवा अवधि के अनुसार निर्धारित की जाएगी तथा बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्धारित अन्य व्यवस्था के अनुसार होगी।

(2) धारा (।) के प्रावधानों के अनुसार यह रजिस्ट्रार का कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक पूर्ण तथा अद्यतन वरिष्ठता सूची तैयार करे और उसका रखरखाव करे।
(3) यदि दो या अधिक व्यक्ति किसी विशेष ग्रेड में लगातार सेवा में समान सेवा–अवधि रखते हैं या किसी व्यक्ति की सापेक्षित वरिष्ठता में यदि कोई संदेह है तो ऐसी दशा में रजिस्ट्रार स्वयं के प्रस्ताव द्वारा या किसी व्यक्ति के अनुरोध पर इस मामले को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसका निर्णय इस मामले में अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का निष्कासन

26 (।) जब विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक, अकेडमिक स्टाफ के किसी सदस्य या किसी अन्य कर्मचारी, के विरूद्ध कदाचार का कोई आरोप हो, उस दशा में अध्यापकों या अकेडमिक स्टाफ के मामले में कुलपति, तथा अन्य कर्मचारियों के बारे में सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी (इसके पश्चात नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) यथास्थिति लिखित रूप में आदेश द्वारा वह अध्यापक, अकेडमिक स्टाफ के सदस्य या अन्य कर्मचारी को निलंबन के तहत रखेंगे तथा बोर्ड को उन परिस्थितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें जिसके तहत यह आदेश किया गया।
बशर्ते कि यदि बोर्ड का यह विचार हो कि मामले की परिस्थितियां किसी अध्यापक या अकेडमिक स्टाफ के किसी सदस्य के निलंबन के लिए न्यायसंगत नहीं हैं तो वह ऐसे आदेश को वापस ले सकता है।
(2) नियुक्ति के करार में दी गई दशाओं में या कर्मचारी के सेवा की अन्य शर्तों तथा निबंधनों में किसी बात होते हुए भी अध्यापकों तथा अकेडमिक स्टाफ के मामले में बोर्ड को तथा अन्य कर्मचारियों के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी को यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह यथास्थिति किसी अध्यापक या अकेडमिक स्टाफ के किसी सदस्य या अन्य कर्मचारियों को कदाचार के आधार पर हटा सकेगा।
(3) उपरोक्त के सिवाय, बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी मामले के अनुसार किसी अध्यापक, अकेडमिक स्टाफ के सदस्य या अन्य कर्मचारी को नहीं हटा सकेगा जब तक कि इसके लिए कोई विशेष कारण न हो और ऐसा उसे 3 महीने के नोटिस या उसके बदले में 3 महीने के वेतन का भुगतान करके ही किया जा सकेगा।
(4) धारा (2) या धारा (3) के तहत किसी अध्यापक, अकेडमिक स्टाफ के सदस्य या अन्य कर्मचारियों को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक उन्हें इस संबंध में प्रस्तावित कार्रवाई के विरूद्व कारण बताओ के लिए एक उपयुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो।
(5) किसी अध्यापक, अकेडमिक स्टाफ के सदस्य या अन्य कर्मचारियों का निष्कासन उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को निष्कासन आदेश जारी किया जाएगा।
बशर्ते कि जहां निष्कासन के समय कोई अध्यापक, अकेडमिक स्टाफ का सदस्य या अन्य कर्मचारी निलंबन के अंतर्गत हो तो यह निष्कासन उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को उसे निलंबित किया गया था।
(6) इन अधिनियमों के पूर्व के प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी, एक अध्यापक/अकेडमिक स्टाफ का सदस्य या अन्य कर्मचारी निम्न रूप में त्यागपत्र दे सकता है:–

(क) यदि वह एक स्थाई कर्मचारी है तो वह यथास्थिति, बोर्ड को या नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में 3 महीने का नोटिस देने के पश्चात या उसके बदले में 3 महीने के वेतन का भुगतान करके ;

(ख) यदि वह एक स्थाई कर्मचारी नहीं है तो वह यथास्थिति, बोर्ड को या नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में एक महीने का नोटिस देने के पश्चात या उसके बदले में एक महीने के वेतन का भुगतान करके;

बशर्ते कि इस प्रकार से दिया गया त्यागपत्र उसी दिन से प्रभावी होगा जिस तिथि से बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्थिति के अनुसार त्यागपत्र स्वीकार किया गया हो।

मानद उपाधियां

27 (।) शैक्षणिक परिषद की अनुशंसा पर तथा उपस्थित सदस्यों के बहुमत से जो दो तिहाई से कम न हो द्वारा पारित प्रस्ताव तथा वोटिंग द्वारा बोर्ड किसी विजिटर को मानद उपाधियां देने के लिए प्रस्ताव कर सकता है,

बशर्ते कि अति–आवश्यक परिस्थितियों में बोर्ड स्वयं भी ऐसे प्रस्ताव कर सकता है।

(2) बोर्ड उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई से अधिक बहुमत द्वारा पारित किसी प्रस्ताव या वोटिंग द्वारा किसी विजिटर को पहले से स्वीकृत विश्वविद्यालय द्वारा दी गई मानद उपाधि को वापस ले सकता है।

उपाधियों इत्यादि को वापस लेना

28. बोर्ड, उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा जो दो तिहाई से कम न हो पारित किसी विशेष प्रस्ताव और वोटिंग द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई किसी डिग्री या अकादमिक सम्मान या किसी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को सही और पर्याप्त आधार होने पर वापस ले सकता है।

बशर्ते कि इस तरह का कोई प्रस्ताव तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब कि संबंधित व्यक्ति को नोटिस में निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में इस प्रकार का कोई चेतावनी (नोटिस) न दी गई हो कि क्यों न उनके विरूद्ध इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया जाए तथा जब तक उसके द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों या उनके समर्थन में उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर बोर्ड द्वारा विचार न कर लिया गया हो।

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाए रखना

29(1) विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के संबंध में अनुशासन तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित सभी शक्तियां कुलपति के अधिकार में होंगी।

(2) कुलपति अपनी सभी या कुछ शक्तियों को जैसा भी वे उपयुक्त समझें किसी अधिकारी को सौंप सकते हैं जो उनकी ओर से निर्धारित की गई हों।

(3) अनुशासन बनाए रखने तथा उन पर कार्रवाई करने से संबंधित अपनी शक्तियों की व्याप्रकता के बारे में बिना भेदभाव के जो उन्हें उपयुक्त लगे या अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी हो, कुलपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में किसी विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह को आदेश द्वारा निष्कासित या एक विशेष अवधि के लिए रस्टीकेट या विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज, संस्थान या विभाग में उक्त अवधि के लिए किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में प्रवेश से वर्जित या आदेश में निर्धारित किसी आर्थिक दण्ड द्वारा सजा देना या विश्वविद्यालय, कॉलेज, संस्था या विभाग द्वारा एक या अधिक वर्षों के लिए किसी परीक्षा या परीक्षाओं से सम्मिलित होने से रोकना या विद्यार्थी द्वारा दी गई किसी परीक्षा या परीक्षाओं के परिणाम को निरस्त करने जैसी कार्रवाई कर सकते हैं।

(4) महाविद्यालयों, संस्थानों के डीन तथा विश्वविद्यालय में शिक्षण विभागों के प्रमुखों के पास विद्यार्थियों पर इस प्रकार की अनुशासनात्मक शक्तियों को प्रयोग करने का अधिकार होगा जो कि संबंधित महाविद्यालयों, संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक विभागों में विद्यार्थियों के उपयुक्त आचरण के लिए आवश्यक हो।

(5) धारा (4) में निर्दिष्ट कुलपतियों, डीन तथा अन्य व्यक्तियों को प्रदत्त शक्तियों के प्रति बिना पूर्वाग्रह के विश्वविद्यालय द्वारा अनुशासन और उपयुक्त आचरण के बारे में विस्तृत नियमावली बनाई जाएगी। विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों, संस्थानों के डीन तथा विश्वविद्यालय में शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्ष उपरोक्त उद्देश्य के लिए यथावश्यक अनुपूरक नियमों को भी बना सकते हैं।

(6) प्रवेश के समय प्रत्येक विद्यार्थी को इस आशय के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह कुलपति तथा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के अनुशासनात्मक न्याय क्षेत्र के अधीन रहेगा।

महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच में अनुशासन बनाए रखना

30. विश्वविद्यालय द्वारा शासित महाविद्यालय या किसी संस्थान के विद्यार्थियों के संबंध में अनुशासन तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में सभी शक्तियां, अध्यादेश द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुसार, यथास्थिति महाविद्यालय या संस्थान के अधिष्ठाता के अधिकार क्षेत्र में होंगी।

सलाहकार समिति

31. हटा दिया

दीक्षान्त समारोह

32. उपाधियां प्रदान करने या अन्य उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षान्त समारोहों को अधिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से आयोजित किया जाएगा।

कार्यवाहक अध्यक्ष

33. जब किसी समिति की अध्यक्षता करने के लिए किसी अध्यक्ष का कोई प्रावधान न हो या जब स्थापित व्यवस्था के अनुसार अध्यक्ष अनुपस्थित हो या कुलपति ने लिखित रूप में किसी प्रकार की व्यवस्था न की हो तो ऐसी दशा में बैठक की अध्यक्षता के लिए सदस्यगण अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्षता हेतु चुन लेंगे।

त्यागपत्र

34. बोर्ड के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य, शैक्षणिक परिषद या विंश्वविद्यालय का कोई अन्य प्राधिकारी या किसी समिति के ऐसे प्राधिकारी, रजिस्ट्रार को संबोधित पत्र के माध्यम से अपना त्यागपत्र दे सकेंगे तथा रजिस्ट्रार द्वारा पत्र की प्राप्ति पर उनका त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा।

अपात्रता

35 (;1द्ध विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के लिए चुने जाने हेतु, कोई सदस्य उस दशा में अयोग्य माना जाएगाः

यदि वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है;

यदि वह एक अभुक्त दिवालिया हो;

यदि उसे किसी न्यायालय द्वारा नैतिक भ्रष्टता में शामिल किसी अपराध के लिए सजा दी गई हो तथा उसके लिए उसे 6 महीने से कम नहीं की कारावास की सजा दी गई हो।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति धारा (I) में उल्लिखित अयोग्यता रखता है या इस धारा में दी गई अयोग्यताओं के विषयाधीन रहा था तो इस मामले को विजिटर के पास भेजा जाएगा और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा तथा ऐसे निर्णय के विरूद्व किसी दिवानी न्यायालय में कोई वाद या अन्य प्रकिया नहीं चलाई जाएगी।

सदस्यता तथा कार्यालय हेतु निवास दशाएं (रेजिडेंस कंडिशन)

36. अधिनियम में दी हुई किसी बात के होते हुए भी एक व्यक्ति जो आम तौर पर भारत का निवासी नहीं है वह विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के किसी सदस्य के पद के लिए पात्र नहीं होगा।

अन्य निकायों की सदस्यता द्वारा प्राधिकरण की सदस्यता

37. अधिनियमों में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में किसी पद पर है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य है वह उस विशेष प्राधिकरण के सदस्य की हैसियत से या किसी विशेष नियुक्ति पर होने के कारण इस प्रकार के पद या सदस्यता को तभी तक कायम रख पाएगा जब तक वह यथास्थिति उस विशेष प्राधिकरण का सदस्य बना रहता है या कोई विशेष पद धारण करता है।

भूतपूर्व छात्रों (एल्मनाई) का संघ

38(1) विश्वविद्यालय में एक भूतपूर्व छात्रों का संघ होगा।

(2) भूतपूर्व छात्रों के संघ की सदस्यता के अंशदान की व्यवस्था अध्यादेशों द्वारा की जाएगी।

(3) एल्मनाई संघ के किसी भी सदस्य को वोट देने या चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि वह चुनाव होने की तिथि से कम से कम एक वर्ष पहले तक संघ का सदस्य न रहा हो और कम से कम विश्वविद्यालय में 5 वर्ष तक डिग्री उपाधि धारक हो ।

बशर्ते कि प्रथम चुनाव के मामले में एक वर्ष की सदस्यता पूर्ण होने से संबंधित शर्त लागू नहीं होगी।

विद्यार्थी परिषद

39(1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक महाविद्यालय में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए एक विद्यार्थी परिषद होगी जो विश्वविद्यालय के अधिकारियों को खेलकूद, स्पोर्टस, नाटक, वादविवाद, सांस्कृतिक गतिविधियों सहित विद्यार्थियों के कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के बारे में अनुशंसाएं करेगी तथा यह परिषद इस प्रकार गठित होगी :

महाविद्यालय के डीन – अध्यक्ष

सभी हॉस्टल वार्डेन

परिसर संपदा अधिकारी

डीन द्वारा नामित 5 विभागाध्यक्ष

छात्रावास निरीक्षक

प्रत्येक कक्षा/वर्ष से एक विद्यार्थी जिसने पिछले शैक्षणिक सत्र में सर्वोच्च संपूर्ण ग्रेड प्वाइंट औसत प्राप्त किया हो।

विद्यार्थी कल्याण अधिकारी– सदस्य सचिव

(2) हटा दिया

(3) प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी परिषद की कम से कम एक बैठक अवश्य होगी।

अध्यादेश (नियम) कैसे बनाए जाएंगे

40 (1) किसी भी समय धारा 27 की उपधारा (2) के अंतर्गत बनाए गए पहले के नियमों में नीचे दिए गए निर्धारित तरीके से बोर्ड द्वारा संशोधन या उन्हें निरस्त किया जा सकता है।
(2) उपधारा (1) की धारा (एन) में दिए गए विषयों से अलग, धारा 27 में दिए गए विषयों पर बोर्ड द्वारा कोई नियम (अध्यादेश) नहीं बनाए जाएंगे जब तक कि इस प्रकार के नियमों का एक मसौदा शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो।
(3) धारा (2) के अन्तर्गत शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी अध्यादेश के किसी मसौदे में संशोधन करने की बोर्ड के पास कोई शक्ति नहीं होगी किंतु वह प्रस्ताव को निरस्त कर सकता है या बोर्ड द्वारा सुझाए गए संशोधन के अनुसार मसौदे को शैक्षणिक परिषद को पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।
(4) जब शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी अध्यादेश के मसौदे को बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया गया हो या उसे लौटा दिया गया हो, उस स्थिति में शैक्षणिक परिषद इस पर नए सिरे से विचार कर सकती है और यदि मूल मसौदे को उपस्थित सदस्यों के बहुमत जो दो तिहाई से कम न हो तथा वोटिंग एवं शैक्षणिक परिषद के कुल सदस्यों की आधी संख्या द्वारा पुनः पुष्टि की जाती है, तो इस मसौदे को बोर्ड को वापस भेजा जाएगा जो इसे या तो स्वीकार करेगा या इसे विजिटर को भेजेगा जिसका निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
(5) बोर्ड द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम (अध्यादेश) तत्काल प्रभावी होगा।
(6) बोर्ड द्वारा बनाए गए प्रत्येक अध्यादेश को इसको स्वीकार किए जाने के दो सप्ताह के अंदर विजिटर को प्रस्तुत किया जाएगा। विजिटर को यह अधिकार प्राप्त होगा कि अध्यादेश की प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर वह विश्वविद्यालय को यह निदेश दे कि वह इस अध्यादेश का कियान्वयन निलंबित रखें तथा जितनी जल्दी संभव हो वह बोर्ड को प्रस्तावित अध्यादेश के बारे में अपनी आपत्ति के बारे में सूचित करेगा। विश्वविद्यालय की टिप्पणी प्राप्त होने के बाद विजिटर या तो अध्यादेश को निलंबित रखने के आदेश को वापस ले सकता है, या अध्यादेश को अमान्य कर सकता है और उसका निर्णय इस मामले में अंतिम होगा।

41(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अधिनियम के सुसंगत विनियम, संविधि तथा अध्यादेशों को निम्नलिखित तरीके से बनाएंगे:–
(प) कोरम की पूर्ति के लिए वांछित सदस्यों की संख्या तथा बैठक में अपनाई जाने वाली प्रकिया को निर्धारित करना
(पप) विनियमों द्वारा निर्धारित अधिनियम, संविधि या अध्यादेश द्वारा वांछित सभी विषयवस्तु प्रदान करना।
(पपप) उनके द्वारा नियुक्त समितियां या ऐसे प्राधिकरणों से संबंधित अन्य सामग्री प्रदान करना जिसे एक्ट संविधि या अध्यादेश द्वारा नहीं प्रदान किया गया हो।
(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण बैठक की तिथि, बैठकों में होने वाले कार्य का विवरण तथा बैठकों की कार्रवाई का रिकार्ड रखने के लिए तथा सदस्यों को बैठकों की सूचना देने के लिए विनियम बनाएगा।
(3) संविधि के अंतर्गत बनाए गए किसी विनियम या ऐसे किसी विनियम के निरस्तीकरण के लिए निर्धारित विधि द्वारा बोर्ड संशोधन का निर्देश दे सकता है।
शक्तियों का प्रत्यायोजन

(42) अधिनियम और संविदा के प्रावधानों के विषयाधीन विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकरण अपनी या इसकी शक्तियों को किसी अन्य या प्राधिकरण को या उसके या इसके नियंत्रण में किसी व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकता है बशर्ते कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के उपयोग की सम्पूर्ण जिम्मेदारी उस अधिकारी या प्राधिकरण की होगी जिसमें ये शक्तियां विहित हैं।

अन्य संस्थानों या संगठनों के साथ सहयोग

(43) विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर तथा पीएच.डी. उपाधि देने हेतु आंशिक आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सहयोगी स्नातकोत्तर अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय के पास समझौता ज्ञापन द्वारा किसी भी अनुसंधान तथा/या उच्च शिक्षा के शैक्षणिक संस्थान जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र, क्षेत्रीय परिषद, बारापानी (मेघालय) भी शामिल हैं, के साथ स्नातकोत्तर अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने, विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर और पी0एच0डी0 डिग्री की आंशिक जरूरतों को पूरा करने का अधिकार होगा।

अनुसंधान परिषद का गठन और कार्य

(44) (1) विश्वविद्यालय में एक अनुसंधान परिषद होगी जो कृषि एवं संबद्ध विषयों के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की अनुसंधान नीतियों तथा कार्यक्रमों पर सामान्य निगरानी रखने का कार्य करेगी। अनुसंधान परिषद मेंब निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

(प)	कुलपति	–	अध्यक्ष
(पप)	निदेशक प्रसार शिक्षा	–	सदस्य
(पपप)	निदेशक शिक्षण	–	सदस्य
(पअ)	विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के सभी संकायाध्यक्ष	–	सदस्य
(अ)	राज्य सरकारों से नामित सदस्य जो निदेशक स्तर से कम न हों पूर्वोत्तर क्षेत्र के 6 राज्यों से प्रत्येक से एक	–	सदस्य
(अप)	विश्वविद्यालय के अनुसंधान दल के सभी समन्वयक	–	सदस्य
(अपप)	कुलपति द्वारा नामित दो प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक 3 वर्ष के लिए	–	सदस्य
(अपपप)	निदेशक अनुसंधान		सदस्य–सचिव

(2) अनुसंधान परिषद की वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित की जाएगी।

(3) अनुसंधान परिषद की बैठकों के लिए परिषद के एक तिहाई सदस्यों को कोरम आवश्यक होगा।

(4) यदि किसी के त्यागपत्र या अन्य कारणों से कोई रिक्ति होती है तो उसे शेष अवधि के लिए भरा जाएगा।

प्रसार शिक्षा परिषद का गठन और कार्य

45 (1) कृषि एवं इसके सहयोगी विषयों के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमों पर सामान्य निगरानी रखने के लिए विश्वविद्यालय की एक प्रसार शिक्षा परिषद. होगी। प्रसार शिक्षा परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

(प)	कुलपति	–	अध्यक्ष

(पप) निदेशक अनुसंधान – सदस्य
(पपप) निदेशक शिक्षण – सदस्य
(पअ) विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के सभी अधिष्ठाता – सदस्य
(अ) पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र की राज्य सरकारों से 6 नामित सदस्य जो निदेशक स्तर से कम न हों – सदस्य
(अप) कुलपति द्वारा 3 वर्ष के लिए नामित पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र के राज्यों से किसान प्रतिनिधि तथा एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता – सदस्य
(अपप) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के बाहर के दो प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक 2 वर्ष के लिए – सदस्य
(अपपप) निदेशक प्रसार शिक्षा
सदस्य–सचिव

(2) प्रसार शिक्षा परिषद की वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित की जाएगी।
(3) प्रसार शिक्षा परिषद की बैठकों के लिए परिषद के एक तिहाई सदस्यों को कोरम आवश्यक होगा।

46 (1) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के सभी नियमित कर्मचारी पेंशन तथा ग्रेच्युएटी तथा सामान्य भविष्य निधि अनुदान के संबंध में "केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) अधिनियम, 1972" तथा "सामान्य भविष्य निधि" (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960" द्वारा अधिशासित होंगे।

(2) भारत सरकार द्वारा "केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) अधिनियम, 1972" तथा "सामान्य भविष्य निधि" (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960" में किए गए परिवर्तन केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।
(3) पेंशन के कम्युटेशन के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन का कम्युटेशन) नियम, 1981 लागू होगा।
(4) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति (1) पेंशन स्वीकृति करने वाले प्राधिकारी तथा (2) पेंशन अधिकार–पत्र प्राधिकारी होंगे।
(5) पेंशन का अधिकार केन्द्रीयकृत होगा जिसे परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।